रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस०एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 20 जुलाई, 1992/29 आषाढ़, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 1992

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-20/92-लेजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 20 जुलाई, 1992 को अनुमोदित

1863-राजपत्र/92-20-7-92—1,278. (2627) मूल्य : 1 रुपया।

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 1992 (विधेयक संख्यांक 18) को वर्ष 1992 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-,
सचिव (विधि) ।

1992 का अधिनियम संख्यांक 17.

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1992

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 जुलाई, 1992 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (1983 का 17) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 1992 है ।

धारा 4 का संशोधन ।

1983 का 17

2. हिमाचल प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम, 1983 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**:—इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण से ही न्यास या लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा कि उसको इस अधिनियम की धारा 15-क के अधीन अतिरिक्त कृत्य सौंपे गए हैं या उक्त कृत्यों के निर्वहन के लिए शक्तियां प्रदत्त की गई हैं ।"

धारा 8 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 में, खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा ।

धारा 15-क का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 15-क में निम्नलिखित उप-धाराएं (4) और (5) जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी, यदि राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि—

(क) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण से सम्बद्ध कार्य की मात्रा लोक आयुक्त के पूर्णकालिक नियोजन को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) अतिरिक्त कृत्यों या लोक महत्व के मामलों के अन्वेषण का कर्त्तव्यभार (जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन से सम्बद्ध नहीं है) लोक आयुक्त द्वारा इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले कर्त्तव्यों पर अड़चन या प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पालन या संचालित किया जा सकता है ;

तो राज्यपाल, लोक आयुक्त की सहमति से या तो सशर्त अथवा अशर्त लोक आयुक्त को निम्नलिखित सौंप सकेगा—

1952 का 60

(i) जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट लोक महत्व के किसी निश्चित मामले की जांच करना; या

(ii) कानूनी पद के कृत्यों का पालन करना और कर्त्तव्यों का निर्वहन करना ;

और वह उक्त जांच या उक्त कृत्यों का पालन अथवा उक्त कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों और एजैंसियों के माध्यम से करेगा जो धारा 13 में निर्दिष्ट किए गए हैं ।

(5) जब उप-धारा (4) के अधीन कोई अतिरिक्त कृत्य प्रदत्त किए जाते हैं तो लोक आयुक्त वैसी ही शक्तियों का प्रयोग करेगा और वैसे ही कृत्य करेगा जैसे कि उस द्वारा, यथास्थिति, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन या उस अधिनियमिति के अधीन प्रयोग या निर्वहन किए जाते जिसके अधीन वह पद गठित या स्थापित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में उसने कृत्य करने हैं या कर्त्तव्यों का निर्वहन करना है । 1952 का 60

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "कानूनी पद" से वह पद अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा, राज्य में तत्समय प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किया गया है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा न्यायाधीश रहा है, धारित किया जाएगा ।

धारा 17 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 में —

(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (क) रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश अथवा अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक सेवा का सदस्य या अनुच्छेद 323-क के अधीन गठित प्रशासनिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या ऐसा अधिकारी जिसका नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 235 के फलस्वरूप उच्च न्यायालय में निहित है;";

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (खख) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(खख) संविधान के अनुच्छेद 323-क के अधीन गठित किसी प्रशासनिक अधिकरण का कोई अधिकारी या सेवक; " ;

(iii) खण्ड (घ) के अन्त में आए शब्द "और" का लोप किया जाएगा; और

(iv) खण्ड (ङ) के अन्त में आए ";" चिन्ह के पश्चात् "और" शब्द रखा जाएगा और इस प्रकार संशोधित खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (च) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(च) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित उपभोक्ता विवाद प्रतिनोष (रिडरैसल) आयोग का अध्यक्ष या सदस्य ।" 1986 का 68

Act No. 17 of 1992.

THE HIMACHAL PRADESH LOKAYUKTA (FOURTH AMENDMENT) ACT, 1992

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH JULY, 1992)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (*Act No.* 17 *of* 1983).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-third Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Fourth Amendment) Act, 1992.

Amendment of section 4.

17 of 1983

2. At the end of section 4 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 1983 (hereinafter called the principal Act), the following Explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation.*—For the purpose of this section a person shall not be deemed to hold an office of trust or profit by reason only that he has been entrusted additional functions or conferred powers to discharge the said functions under section 15-A of this Act."

Amendment of section 8.

3. In section 8 of the principal Act, clause (*b*) shall be omitted.

Amendment of section 15-A.

4. In section 15-A of the principal Act, the following sub-sections (4) and (5) shall be added, namely:—

"(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, if the Governor is satisfied that—

(*a*) the quantum of work connected with investigations under this Act is not sufficient to justify the whole time employment of the Lokayukta ; and

(*b*) the assignment of additional functions or investigations of matters of public importance (not connected with eradication of corruption) can be performed or conducted by the Lokayukta without impending or prejudice of the duties to be performed by him under this Act ;

the Governor may, with the consent of the Lokayukta, entrust, either conditionally or unconditionally, to the Lokayukta—

60 of 1952

(*i*) to make an inquiry into any definite matter of public importance referred for inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 ; or

(*ii*) to perform the functions and to discharge the duties of a statutory office;

and he shall hold said inquiry or perform said functions or discharge said duties through such officers, employees and agencies as are referred to in section 13.

(5) When any additional functions are conferred under sub-section (4), the Lokayukta shall exercise the same powers and discharge the same functions, as he would have exercised or discharged under the Commissions of Inquiry Act, 1952, or as the case may be, under the enactment constituting or setting up that office in relation to which he is to perform the functions or to discharge the duties. 60 of 1952

Explanation.—For the purpose of this section the expression "statutory office" shall mean the office constituted or set up by the State Government under a State or a Central Act, for the time being inforce in the State, and which is to be manned by a person who is qualified for appointment as, or is a person who is or has been, a Judge of a High Court."

Amendment of section 17.

5. In section 17 of the principal Act—

(*i*) for clause (*a*), the following clause (*a*) shall be substituted, namely:—

"(*a*) the Chief Justice or any Judge of the High Court or a Member of the Judicial Service as defined in clause (*b*) of Article 236, or a Presiding Officer of an administrative tribunal set up under Article 323-A, or an officer the control whereof vests in the High Court by virtue of Article 235, of the Constitution;";

(*ii*) after clause (*b*), the following clause (*bb*) shall be inserted, namely:—

"(*bb*) any officer or servant of any administrative tribunal set up under Article 323-A of the Constitution;";

(*iii*) in clause (*d*) the word "and" appearing at the end shall be omitted; and

(*iv*) in clause (*e*) for the sign "." occurring at the end, the sign and word "; and" shall be substituted and after clause (*e*) so amended the following clause (*f*) shall be added, namely:—

"(*f*) the President or a Member of the Consumer Disputes Redressal Commission set up by the State Government under clause (*b*) of section 9 of the Consumer Protection Act, 1986." 68 of 1986

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।